



जयें ई-मेल

**कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)**

क्रमांक : स्था0/2021/ 62

दिनांक : 9/9/21

**संशोधित आदेश**

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2021/60 दिनांक 31.08.2021 के अनुसार दिनांक 12.09.2021 के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्रीमती गार्गी चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां जिला बून्दी की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 12.09.2021 के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्रीमती कमला बॉयला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी की ड्यूटी लगाई जाती है।

श्रीमती कमला बॉयला, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी उपर्युक्त दिनांक 12.09.2021 को मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर तथा पूर्ववर्ती/पश्चातवर्ती कार्य दिवसों का अवकाश घोषित हो जाने पर मुख्यालय पर रहकर जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2021/2013-2040

दिनांक : 9/9/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी. (2) जिला कलक्टर, बून्दी.
- (3) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) श्रीमती कमला बॉयला एवं श्रीमती गार्गी चौधरी (आर.जे.एस.)
- (6) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी/नैनवां/केशवराय पाटन/हिण्डोली
- (7) न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी/नैनवां/लाखेरी/इन्द्रगढ़/हिण्डोली/तालेड़ा/के.पाटन,
- (8) न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1/2/3 बून्दी (9) न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा
- (10) सहायक निदेशक, अभियोजन, बून्दी
- (11) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी. (12) पुलिस कन्ट्रोल रूम, बून्दी.
- (13) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (14) उप कारापाल, नैनवां
- (15) प्रभारी अधिकारी वायरलेस, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को संसूचित करें।
- (16) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।
- (17) कार्यालय प्रति.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बून्दी (राजस्थान)